



**The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act (Uttaranchal Amendment) Act,  
2001**

Act 13 of 2001

**Keyword(s):**

**Manufacturer, Business, Dealer, Local Area, Value of Goods**

**Amendment appended:6 of 2006**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)

देहरादून, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001 ई०

अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वत्

### उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 28 नवम्बर, 2001

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन)

अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 26-2-2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 4(1), 4(3),  
4(6) में संशोधन

धारा 4-ए का  
अन्तः स्थापना

2. (1) मूल अधिनियम की धारा 4 (1) व 4 (3) में "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।  
(2) मूल अधिनियम की धारा 6 (1) में "विधान मंडल" के स्थान पर "विधान सभा" रख दिया जायेगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के उपरान्त निम्न धारा 4 ए (1), (2), (3), (4) तथा (5) तथा विशेष उपबन्ध (1) व (2) अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे।

(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में की बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथाविहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहाँ कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को प्राप्त करने से इन्कार करता है या जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा उसके परिदान के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहाँ वह यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसे वापसी के लिये किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) धारा 5 के उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर निर्धारण नहीं किया जायेगा या उससे कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विनिर्माता को भुगतान किये गए कर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध :-

(1) जहाँ किसी व्यक्ति ने विनिर्माता को इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया हो, वहाँ विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किए गये कर को ऐसे प्रारम्भ से एक माह के भीतर मूल अधिनियम के अधीन विहित रीति से जमा करेगा और कर निर्धारक को कर एवं उस माल के सम्बन्ध में जिसके लिये उसके द्वारा कर प्राप्त किया गया है, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहाँ कोई विनिर्माता उपधारा (1) के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

धारा 7(4) में  
संशोधन

4. मूल अधिनियम में "उत्तर प्रदेश अधिनियम" के स्थान पर "उत्तरांचल अधिनियम" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।

No. 13/Vidhayee And Sansadiya Karya/2001

Dated Dehradun, November 28, 2001

## NOTIFICATION

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2001.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on November 28, 2001.

### THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS ACT (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001 (Uttaranchal Act No. 13 of 2001)

AN  
ACT

To amend the Uttar Pradesh Tax on entry of Goods Act, 2000

It is HERE BY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <p>1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on entry of Goods Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.<br/>(2) It extends to the whole of Uttaranchal.<br/>(3) It shall come into force with effect from 26-2-2001.</p> | <p>Short title and commencement</p> |
|--|-------------------------------------|

**Wherever in principal Act,**

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. (1) The word "Uttaranchal" is substituted for the words "Uttar Pradesh" in section 4 (1) and 4 (3).<br/>(2) The words "Assembly" is substituted for the words "Legislative" in section 4 (6).</p> | <p>Amendment of section 4 (1), 4 (3), 4 (6)</p> |
|---|---|

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>3. After section 4 of the Principal Act section 4 A (1), (2), (3), (4) and (5) with specific provision shall be inserted namely :—</p> | <p>Insertion of a new section 4 A</p> |
|---|---------------------------------------|

**Realisation of tax through manufacturer :**

"4 A (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person who intends to bring into a local area from any manufacturer within the State, such goods, specified in the Schedule as may be notified by the State Government, shall, at the time of taking delivery of the Goods from the manufacturer, pay to the manufacturer the tax payable on entry of such goods into the local area and the manufacturer shall receive the tax so paid.

(2) The manufacturer receiving the tax under sub-section (1) shall submit to the assessing authority a return in respect of the goods supplied, and he in such manner and within such time as may be prescribed.

(3) Where any manufacturer refuses to receive, or fails to deposit the tax under this section he shall be liable to pay the tax alongwith the interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenues.

(4) Where the assessing authority is satisfied that any goods referred to in sub-section (1) is lost or destroyed after its delivery by the manufacturer and before its entry in to the local area it shall direct that the tax paid in respect of such goods shall be refunded to the person who had paid the tax under sub-section (1) :

Provided that no claim for such refund shall be entertained after the expiry of six months from the date of the loss or destruction of the goods.

(5) The provisions of section 5 shall not apply to a person making payment of the tax under sub-section (1) and such person shall not be assessed, or required to submit a return, under this Act.

**Special provision with respect to the tax paid to the manufacturer before the commencement of this Ordinance :**

(1) Where any person has paid to the manufacturer before the commencement of this Ordinance, the tax payable under the principal Act, the manufacturer shall within one month from such commencement, deposit the tax so paid in the manner prescribed under the principal Act and shall also submit to the assessing authority a return in respect of the tax and the Goods for which the tax has been realised by him.

(2) Where any manufacturer fails to deposit the tax in accordance with sub-section (1) he shall be liable to pay the tax alongwith interest and penalty, if any payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.

Amendment of  
section 7 (4)

4. The words "Uttaranchal Act" is substituted for the words "Uttar Pradesh Act" in the Principal Act.

By Order,

(R. P. PANDEY)  
Sachiv.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 719/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन), 2006 पर दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 6, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000)

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन)

अधिनियम, 2006

(अधिनियम सं0 06, सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन हेतु-

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावन वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार एवं  
प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(2) यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का  
संशोधन

2-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में शब्द "जैसा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (छ छ) में परिभाषित है" के स्थान पर शब्द "जैसा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (31) में परिभाषित है" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का  
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "व्यापार कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर वाणिज्य कर" रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम का  
संशोधन

4-मूल अधिनियम में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948" आये हैं, के स्थान पर वहाँ-वहाँ शब्द "उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" पढ़े जायेंगे।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Acts, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 06 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04-04-2006.

No. 719/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS ACT, 2000) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2006 (ACT No. 06 OF 2006)

to further amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002.

AN

Act

Be it enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title,  
Extent and  
Commencement

1-- (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002, (Amendment) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from October 01, 2005.

2--In Clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as principal Act) the words "as defined in sub-section (31) of section 2 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005" shall be substituted for the words "as defined in Clause (gg) of section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948".

Amendment of  
Section 2

3--In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, the words the Commissioner of Commercial Tax" shall be substituted for the words "the Commissioner of Trade Tax".

Amendment of  
Section 3

4--In principal Act wherever the expression "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" occurs, it shall be read as "the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005."

Amendment of  
the principal  
Act

By Order,

U.C. DHYANI,  
Secretary.